

श्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3--- उपखण्ड (ii) PART II---Section 3--- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

io 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मुई 28, 1976/ज्येष्ठ 7, 1898

No. 252]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1976/JYAISTHA 7, 1898

इस भाग में भित्र पुष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह श्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th May 1976

- S.O. 373(E).—The following draft of certain rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, which the Central Board of Direct Taxes proposes to make in exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 1st day
- 2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the said date will be considered by the Central Board of Direct

Draft Rules

1. These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1976.

(1193°)

- 2. After rule 9 of the income tax Rules, 1962, the following rules shall be inserted, namely:-
 - "9A. Deduction in respect of expenditure on production of feature films.—(1) in computing the profits and gains of the business of production of feature films carried on by a person (such person hereafter in this rule referred to as "film producer"), the deduction in respect of the cost of production of a feature film, shall be allowed-
 - (a) in the case of a feature film, being a regional language feature film, in accordance with the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (4);
 - (b) in the case of a feature film, other than a regional language feature film, in accordance with the provisions of sub-rule (5) to sub-rule (7).

Explanation.-In this rule,-

- (i) "Board of Film Censors" means the Board of Film Censors constituted under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952);
- (ii) "cost of production", in relation to a feature film, means the expenditure incurred on the production of the film, other than expenditure incurred for the preparation of the positive prints of the film or expenditure incurred in connection with the advertisement of the film after it is certified for release by the Board of Film Censors;
 - (iii) "regional language feature film" means a feature film made in any language (other than Hindi or Urdu) specified in the Eighth Schedule to the Constitution.
- (2) Where, during the previous year in which a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer exhibits the film or sells the rights of exhibition of the film and, in either case, the film is exhibited for ninety days or more during that year, the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in the said previous;
- (3) Where, during the previous year in which a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer exhibits the film or sells the rights of exhibition of the film and, in either case, the film is exhibited for less than ninety days during that year, the cost of production of the film, in so far as it does not exceed the amount for which such rights are sold, shall be allowed as a deduction in the said previous year; and the balance, if any, shall be carried forward to the next. following previous year and allowed as a deduction in that year.
- (4) Where, during the previous year in which a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer does not exhibit the film or does not sell the rights of exhibition of the film, no deduction shall be allowed in respect of the cost of production of the film in that year, and the entire cost of production of the film shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.
- (5) Where, during the previous year in which a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer sells the rights of exhibition of such feature film in respect of all the territories specified in the Table below sub-rule (11) (hereafter in this rule referred to as the said Table), the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in that year.
- Explanation.—For the purposes of this sub-rule and sub-rule (6), the rights of exhibition of a feature film shall be deemed to have been sold by the film producer in respect of Territory I. specified in column (1) of the said Table if such rights are sold in respect of any six or more of the areas specified in items (i) to (xx) enumerated under Territory L in Explanation 1 to the said Table.
- (6) Where, during the previous year in which a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer sells the rights of exhibition of such feature film in respect of only some of the territories specified in the said Table, the cost of production to be allowed as a deduction in that year shall be an appropriate

fraction of the entire cost of production of the film; and the balance shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

- Explanation.—For the purposes of this sub-rule, "appropriate fraction" means the fraction the numerator of which is the sum or, as the case may be, the aggregate of the sums specified in column (2) of the said Table against the territory or territories specified in column (1) thereof in respect of which the rights of exhibition of the feature film have been sold by the film producer during the previous year and the denominator of which is one hundred.
- (7) Where, during the previous year in which a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer does not sell the rights of exhibition of such feature film in respect of any of the territories specified in the said Table, no deduction shall be allowed in respect of the cost of production of the film in that year; and the entire cost of production of the film shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.
- (8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule, the deduction under this rule shall not be allowed unless,-
 - (a) in a case where the rights of exhibition of the feature film have been sold or leased by the film producer, the amount for which the rights of exhibition have been sold or leased is credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible;
 - (b) in a case where the rights of exhibition of the feature film have been transferred on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed and the amount, if any, received in excess of the guaranteed amount, are credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible.
- (9) Where the Income-tax Officer is of opinion that--
 - (a) the sale of the rights of exhibition of the feature film in various territories does not conform to the classification of territories in the said Table; or
 - (b) the rights of exhibition of the feature film have been transferred by the film producer by a mode not covered by the provisions of this rule; or
 - (c) having regard to the facts and circumstances of the case, the application of the provisions of this rule gives rise to any difficulty.
 - the cost of production of the film may be allowed by the Income-tax Officer in such other manner as he may deem suitable.
- (10) For the purposes of this rule,--
 - (i) the sale of rights of exhibition of a feature film includes the lease of such rights or their transfer on a minimum guarantee basis;
 - (ii) the rights of exhibition of a feature film shall be deemed to have been sold only on the date when the positive prints of the film are delivered by the film producer to the purchaser of such rights or where in terms of the agreement between the film producer and the distributor, the positive prints are to be made by the distributor, the date on which the negative of the film is delivered by the film producer to the distributor.
- (11) The provisions of this rule shall not apply in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1976 or any earlier assessment year
 - (a) in a case where the assessment in respect of that year is pending before the Income-tax Officer, the film producer makes a declaration in writing before the Income-tax Officer that the cost of production of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of this rule;
 - (b) in a case where the assessment in respect of that year has been completed by the Income-tax Officer and the film producer has preferred an appeal or revision against the assessment made by the Income-tax Officer, the film producer makes a declaration in writing before the Appellate Assistant Commissioner, the Appellate Tribunal or, as the case may be, the Commissioner that the cost of production of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of this rule.

Territory in respect of which the rights of ex- hibition of the feature film have been sold du- ring the previous year		Sum to be taken into account for determining the cost of production to be allowed as a deduction	
(1)		(2)	
Territory A		17	
Territory B	1	16	
Territory C Territory D		17	
Territory E	7.	8	
Territory F		7	
Territory G		4	
Territory H		4 .	
Territory I		41.	
Territory J		25	
Territory K		- 3	
Territory L		12	

Explanation 1.—The territories referred to in the foregoing Table shall have the following meaning, namely:—

Territory A:

- (a) The area comprised in the districts of Ahmednagar, Greater Bombay, Kolabal Kolhapur, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sholapur and Thane in the State of Maharashtra;
- (b) the whole of the State of Gujarat:
- (c) the areas comprised in the districts of Relgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara in the State of Karnataka;
- (d) the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.

Territory B:

- (a) The whole of the Union territory of Delhi;
- (b) the whole of the State of Uttar Pradesh.

Territory C:

- (a) The whole of the States of Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland Orissa, Tripura, Sikkim and West Bengal;
- (b) the whole of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands, Aruna chal Pradesh and Mizoram.

Territory D:

- (a) The whole of the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab;
- (b) the whole of the Union territory of Chandigarh.

Territory E:

- (a) The area comprised in the districts of Akola, Amravati, Bhandara, Buldana Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Nagnur, Wardha and Yavatmal in the State of Maharashtra;
- (b) the area comprised in the districts of Balaghat, Bastar, Betul, Bilaspur, Chhind wara, Damoh, Durg, Hoshangabad, Jabalpur, Khandwa (East Niwar) Mandla, Narsingapur, Raigarh, Raipur, Raisen, Sagar, Seoni and Surguin the State of Madhya Pradesh.

Territory F:

The area comprised in the districts of Bhind, Chattarpur, Datia, Dewas, Dhar, Guna, Gwalior, Indore, Ihadua, Kharcaon (West Niwar), Nandsaur, Morena, Parma, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Satna, Schore, Shahdol, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Tikamgarh, Ujjain and Vidisha in the State of Malhya Pradesh.

Territory G:

The whole of the State of Rajasthan.

Tenitory H:

- (a) The area Comprised in the districts of Adilabad, Karimnagar, Khanmau, Hyderabad, Medak, Mahbubnagar, Nalgonda, Nizamabad and Warangal in the State of Andhra Pradesh;
- (b) the area comprised in the districts of Bidar, Gulbarga and Raichur in the State of Karnataka;
- (c) the area comprised in the districts of Aurangabad, Bhir, Nandad, Osmanabad and Parbhani in the State of Maharashtra.

Territory 1:

The area comprised in the districts of Bangalore, Bellary, Chikmagalur, Chitradurga, Coorg, Hassan, Kolar, Mandya, Mysore, Shimoga, South Kanara and Tunkur in the State of Karnataka.

Territory J:

The area comprised in the districts of Anantapur, Chittor, Cuddarah, East Godavari, Guntur, Krishna, Kurnool, Nellore, Prakasam, Srikakulam; Vishakapatnam and West Godavari in the State of Andhra Pradesh.

Territory K:

- (a) The whole of the States of Kerala and Tamil Nadu;
- (b) the whole of the Union territory of Pondicherry and Lakshadweep.

Territory L:

The area comprised in-

- (i) United Kingdom and Ireland.
- (ii) Western Europe.
- (iii) U.S.S.R. and East European countries.
- (iv) North Africa, including Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Mauritania, Guinca, Senegal, Mali, Upper Volta, Ivory Coast, Cabon, Togo, Dahomey and Gibraltar.
- (v) West Africa, including Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Comercon and Liberia.
- (vi) East Africa, including Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Mozambique, Seychelles, Ethiopia, Somalia, Rwanda and Congo.
- (vii) Mauritius, Medagascar (Malagasy Republic) and Reunion Islands.
- (viii) Aden, Yemen and Djibouti.
- (ix) Middle East, including United Arab Republic, Sudan, Lebanon, Syria, Jordan, Iran, Iraq and Turkey.
- (x) Afghanistan.
- (xi) Israel.
- (xii) Arabian Gulf, including Baharain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates (formerly called the Trucial States) and Oman-
- (xiii) Sri Lanka.
- (xiv) Bangla Desh.
- (xv) Burma.

(xvi) Far East, including Singapore, Malaysia, Brunsi, Indonesia, Indo-China comprising of North and South Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Hong-Kong and the Philippines, Japan and Taiwan, Australia and New Zealand.

(xvii) Fiji Islands.

(xviii) U.S.A. and Canada.

- (xix) Latin America, including the countries in South America (except Guyana, Surinam and French Guina) and Cuba.
 - (xx) West Indies, including Antigua, Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, St. Lucia, St. Vincent, Panama, Surinam, Guyana and French Guina.

Explanation 2.—The reference to any district in Explanation, 1 shall be construed as a reference to the area comprised in that district on the date on which the Income-lax (Fift'a Amendment) Rules, 1976 are notified in the Official Gazette.

Explanation 3.—If, during the previous year in which a feature film is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer sells the rights of exhibition of such feature film in respect of less than six areas specified in items (i) to (xx) enumerated under Territory L in Explanation 1 to the foregoing Table, the sum specified in comm (2) of the said Table against the territory or territories specified in column (1) thereof shall be substituted by the sum arrived at by multiplying the number of such areas sold by the film producer during that previous year by the figure "2".

- 9B. Deduction in respect of expenditure on acquisition of distribution rights of feature films.—(1) In computing the profits and gains of the business of distribution of feature films carried on by a person (such person hereafter in this rule referred to as "film distributor"), the deduction in respect of the cost of acquisition of a feature film shall be allowed in accordance with subrule (2) to sub-rule (4).
- (2) Where, during the previous year in which a feature film is acquired by the film distributor, he exhibits the film or sells the rights of exhibition of the film and, in either case, the film is exhibited for ninety days or more during that year, the entire cost of acquisition of the film shall be allowed as a deduction in the said previous year.
- (3) Where, during the previous year in which a feature film is acquired by the film. distributor, ac exhibits the film or sells the rights of exhibition of the film and, in either case, the film is exhibited for less than ninety days during that year, the cost of acquisition of the film, in so far as it does not exceed the amount for which such rights are sold, shall be allowed, as a deduction in the said previous year and the balance, if any, shall be carried forward to the next following year and allowed as a deduction in that year.
- (4) Where during the previous year in which a feature film is acquired by the film distributor, he does not exhibit the film or does not sell the rights of exhibition of the film, no deduction shall be allowed in respect of the cost of acquisition of the film in that year; and the entire cost of acquisition shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.
- (5) For the purposes of this rule, the rights of exhibition of a feature film shall be deemed to have been sold only on the date when the positive prints of the film are delivered by the film distributor to the purchaser of such rights.
- (6) The provisions of this rule shall not apply in relation to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1976 or any earlier assessment year
 - (a) in a case where the assessment in respect of that year is pending before the Income-tax Officer, the film distributor makes a declaration in writing before the Income-tax Officer that the cost of acquisition of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of this rule;
 - (b) in a case where the assessment in respect of that year has been completed by the Income-tax Officer and the film distributor has preferred an appeal or revision against the assessment made by the Income-tax Officer, the film distributor makes a declaration in writing before the Appellate Assistant Commissioner, the Appellate Tribunal or, as the case may be, the Commissioner that the cost of acquisition of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of this rule."

[No. 1340/F.No. 142(21)/76-TPL] O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

ग्रधिस् चना

ह्याय-कर

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

का॰ ग्रा॰ 373 (ग्र) — केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राय-कर नियम, 1962 में कितपय ग्रीर संशोधन करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन नियमों का निम्नलिखित प्राह्म उन सभी व्यक्तियों ग्रीर संशोधन करना चाहता है। प्रस्तावित संशोधन नियमों का निम्नलिखित प्राह्म उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राह्म पर 1 जुलाई, 1976 को या उसके प्रश्वात विचार किया जाएगा।

उक्त तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी
 व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

- 1. इन नियमों का नाम श्राय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 है।
- 2. ग्राय-कर नियम, 1962 के नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, ग्रयत् :--
 - "9-क. कथा वित्रों के निर्माण पर व्ययको बाबत कटौती .--(1) कथा वित्रों के निर्माण, के कारबार के, जो किसी व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति को इस नियम में इसके पश्चात् 'फिल्म निर्माता' कहा गया है) द्वारा चलाया जाता है, लाभों ग्रीर ग्रिभिल भों की संगणना करने में, किसी कथा चित्र की निर्माण लागत की बाबत कटौती,--
 - . (क) ऐसे कथाचित्र की दशा में, जो प्रादेशिक भाषा कथाचित्र है। उपनियम (2) से उपनियम (4) तक के उपबन्धों के अनुसार अनुतात की जारगी ;
 - (ख) ऐसे कथाचित की दशा में, जो प्रादेशिक भाषा कथाचित से भिन्त है, उपनियम (5) से उप-नियम (7) तक के उपवन्धों के अनुतार अनुतात की जायगी। स्पष्टीकरण:— इस नियम में,—
 - (i) "फिल्म सेंसर वोर्ड" से चलचित्र प्रधिनियम, 1952 (1952 का 37) के प्रधीन गठित फिल्म सेंसर बोर्ड प्रभिषेत है ;
 - (ii) किसी कथाचित्र के संबंध में "निर्माण लागत" से फिल्म के निर्माण पर उपगत व्यय अभिन्नेत है जो फिल्म के पोजिटिव न्निट तैयार किए जाने के लिए उपगत व्यय अथवा फिल्म सें पर बोर्ड द्वारा फिल्म के निर्मीचन के लिए प्रमाणित किए जाने के पश्चात् उसके विज्ञापन के संबंध में उपगत व्यय से भिन्न है;
 - (iii) "प्रादेशिक भाषा कथाचित्र" से (हिन्दो या उर्दू से भिन्छ) किसी भाषा में, जो संविधान की अब्दम अनुसुन्ती में विनिदिब्द है, बनाया गया कथाचित्र अभिप्रेत हैं।

- (2) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी प्रावेशिक भाषा कथाचित्र को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता फिल्म को प्रविश्वत करता है अथवा फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेच देता है, तथा दोनों में से किसी भी दणा में, वह फिल्म उस वर्ष के दौरान 90 या अधिक दिन तक प्रदिक्त की जाती है, वहां फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत उक्त पूर्व वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (3) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी प्रादेशिक भाषा कथाचित को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माला फिल्म की प्रदर्शन के प्रविश्वत करता है, या फिल्म के प्रदर्शन के प्रविकार बेच देता है, तथा दोनों में से किसी भी दथा में, वह फिल्म उस वर्ष के दौरान 90 से कम दिन तक प्रदक्षित की जाती है, वहां फिल्म की निर्माण लागत, जहां तक कि वह उस रकम से अधिक नहीं हो कि पर ऐसे अधिकार बेचे गए हैं, उकत पूर्व वर्ष में कटीती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, और अतिशेष को, यदि कोई हो, ठीक आपामी पूर्व वर्ष के लिए अपनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटीती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।
- (१) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी प्रादेशिक भाषा कथाचित्र को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता फिल्म को प्रविशत नहीं करता है अथवा फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है; वहां फिल्म की निर्माण लागत की बावत कोई भी कटौती उस वर्ष में अनुज्ञात नहीं की जाएगी; तथा फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत को ठीक आगामी पूर्व वर्ष के लिए अप्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।
- (5) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी कथाजित को (जो प्रादेशिक माण, कथा-चित्र नहीं है) फिल्म सेंकर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता ऐसे कथाजित के प्रदर्शन के श्रीधकार उन सब राज्यक्षेत्रों की बावत जो उपनिय (11) के नीचे की सारणी (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्ते कि सारणी कहा गया है) में विनिद्धिट हैं, तेच देता है, वहां फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
 - स्पष्टोकरण—इस उप-नियम ग्रीर उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए, किसी कथा-चित्र के प्रदर्शन के अधिकारों की बाबत उस दशा में यह समझा जाएगा कि वे फिल्म निर्माता द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में बिनिदिष्ट राज्यक्षेत्र ठ की बाबत वेच दिए जाए हैं, यदि ऐसे ग्रिधकार उक्त सारणी के स्पष्टीकरण में राज्यक्षेत्र ठ के ग्रन्तगंत प्रगणित मद (i) से (XX) तक में विनिदिष्ट क्षेत्रों में से किन्हीं छह या ग्रिधिक की बाबत बेच दिए जाते हैं।
- ((6) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसो कथाचित्र को (जो प्रादेशिक भाषा कथाचित्र से भिन्न है) फिल्म सेंसर वोई द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता ऐसे कथाचित्र के प्रवर्शन के प्रधिकारों की, उक्त सारणों में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से केवल कुछ की बावत त्रेच देता है, वहा उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुआत की जाने वाली निर्माण लागत उस फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत का कोई समुचित प्रभाग होगी; तथा अतिशेष को ठीक आगामी पूर्व

वर्ष के लिए अप्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में अकटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

- स्पष्टीकरण:-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "समुचित प्रभाग" से वह प्रभाग अभि-प्रेत हैं जिसका ग्रंग, यथास्थिति, वह राशि या उन राशियों का योग है जो कि उकत सारणी के स्तम्भ (2) में, उसके स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उस राज्यक्षेत्र या उन राज्यक्षेत्रों के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जिनकी वाबत कथाचित्र के प्रदर्शन के ग्रिष्टिकार फिल्म निर्माता द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान बेच दिए गए हैं, तथा जिसका हर सौ है।
- (7) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी कथाचित्र को (जो प्रादेशित भाषा कथाचित्र नहीं है) फिल्म सेंसर वोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता ऐसे कथाचित्र के प्रदर्शन के ब्रधिकार उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से किसी की वावत नहीं वेचता है, वहां फिल्म की निर्माण लागत की वावत उस वर्ष में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; तथा फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत ठोक ब्रागामी पूर्व वर्ष के लिए ब्रप्रानीत की जाएगी और उस वर्ष में कटौती के रूप में ब्रनुज्ञात की जाएगी।
- (8) इस नियम के पूर्वगामी उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रधीन कटौती तब तक अनुवात नहीं की जाएगी, जब तक कि,—
 - (क) ऐसी दशा में जिसमें कथाचित्र के प्रदर्शन के ग्रधिकार फिल्म निर्माता द्वारा वेच दिए गए या किराए पर दे दिए गए हैं, वह रकम जिस पर प्रदर्शन के ग्रधि-कार वेचे या किराए पर दिए गए हैं, उसके द्वारा रखी गई लेखाबहियों में उस वर्ष की वावत जिसमें कटौती श्रनुक्रेय हैं; जमा नहीं कर दी जाती है;
 - (ख) ऐसी दशा में जिसमें कथाचित्र के प्रदर्शन के प्रधिकार न्यूनतम प्रत्याभूति के आधार पर अन्तरित किए गए हैं, प्रत्याभूत न्यूनतम एकम और वह रकम, यदि कोई हो, जो प्रत्याभूत रकम से अधिक प्राप्त हुई हो, उसके द्वारा रखी गई लेख। बहियों में उस वर्ष की बाबत, जिसमें कटौती अनुजेय है जमा नहीं कर दो जाती हैं।
- (9) जहां ग्रायकर प्रधिकारी की यह राय हो कि ---
 - (क) विभिन्न राज्यक्षेत्रों में कथाचित्र के प्रदर्शन के ग्रिधिकारों का विकाय उक्त सारणी में राज्यक्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुरूप नहीं है; ग्रथवा
 - (ख) कथाचित्र के प्रदर्शन के श्रधिकार फिल्म निर्माता द्वारा ऐसी दौति से श्रन्तरित किए गए हैं जो इस नियम के उपवन्धों के श्रन्तर्गत नहीं श्रृं।ती हैं ; अथवा
 - (ग) मामले के तथ्यों ग्रौर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस नियम के उप-बन्धों के लागू किए जाने से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है. वहां फिल्म की निर्माण लागत को आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी अन्य रोति से अनुज्ञात किया जा सकेगा जिसे वह उपयुक्त संमद्ये ।
- (10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
 - (i) किसी कथाचित्र के प्रदर्शन के ग्रधिकारों के विकय के ग्रन्तर्गत ऐसे ग्रधिकारों का किराए पर देना या न्यूनतम प्रत्याभृति के ग्राधार पर उनका ग्रन्तरण ग्राता है ;

- (ii) किसी कथा चित्र के प्रदर्शन के प्रधिकारों की बाबत केवल उस तारीख को जब कि फिल्म के पोजिटिव प्रिट फिल्म निर्माता द्वारा ऐसे प्रधिकारों के केता को परिवत्त किए जाते हैं, अथवा जहां फिल्म निर्माता और वितरक के बीच करार के निधन्धनों के अनुसार, पोजिटिव प्रिटों को वितरक द्वारा बनाया जाना है, वहाँ उस तारीख को जिसको फिल्म का नेगेटिव फिल्म निर्माता द्वारा वितरक को परिवत्त किया जाता है, यह समझा जाएगा कि वे बेच दिए गए हैं।
- (11) इस नियम के उपबन्ध 1 प्रप्रैल, 1976 से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष था। किसी पूर्वत्तर निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू नहीं होंगे, जब तक कि---
 - (क) ऐसी दशा में जिसमें उस वर्ष की बाबत निर्धारण श्रायकर सधिकारी के समक्षें लिम्बत हैं, फिल्म निर्माता श्रायकर स्रधिकारी के समक्ष ऐसी लिम्बित घोषणा न करे कि कथाचित्र की निर्माण लागत इस नियम के उपवन्धों के श्रनुसार अन्जात की जा सकती हैं;
 - (ख) ऐसी दशा में जिसमें कि ग्रायकर ग्रधिकारी द्वारा उस वर्ष की बाबत निर्धारण पूरा कर लिया गया है तथा फिल्म निर्माता ने ग्रायकर ग्रधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध ग्रपील या पुनरीक्षण किया है, फिल्म निर्माता यथा- स्थिति, सहायक ग्रायुक्त (ग्रपील), श्रनील ग्रधिकरण या ग्रायुक्त के समक्ष ऐसी लिखित घोषणा न करे कि कथाचित्र की निर्माण लागत इस नियम के उपवन्धों के ग्रनुसार ग्रनुसात की जा सकती है।

सारणी

• •				•		·
वह राज्यक्षेत्र जिसकी बाबत कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकार पूर्व वर्ष के दौरान बेच दिए गए हैं					बह राशि जो कटौती के रूप में भ्रनुज्ञात की जाने के लिए, निर्माण लागत का श्रव- धारण भरने के लिए लेखे में ली जाएगी।	
(1)						(2)
राज्यक्षेत्र क					-	17
राज्यक्षेत्र ख राज्यक्षेत्र ख	•					16
राज्यक्षेत्र ग राज्यक्षेत्र ग	•	•				17
राज्यकात ग राज्यक्षेत्र घ	•	,	•			8
•	•	•	•	· •		7
राज्यक्षेत्र ङ	•	•	•	•		4
राज्यक्षेत्र च	•	•	•	. *	•	4
राज्यक्षेत्र छ	•	•	•	•	•	ő
राज्यक्षेत्र ज	•	٠	•	-	•	$4\frac{1}{2}$
राज्यक्षेत्र झ	•	•	•	•	•	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
राज्यक्षेत्र व्य	•	•	•	•	•	3
राज्यक्षेत्र ट	- '	•	•	•	.•	12
राज्यक्षेत्र ठ	• •	•	• •	<u> </u>	* * * *	

स्पष्टीकरण:--पूर्वगामी सारणी में निदिष्ट राज्य क्षेत्रों का निम्नलिखित अर्थ है। गा, अर्थात्:-

- राज्यक्षेत्र क : (क) महाराष्ट्र राज्य में ग्रहमदनगर, बृहत्तर मुम्बई, कोलाबा, कोल्हापुर, नासिक, पुणें, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, शोलापुर ग्रौर थाणे जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - (ख) सम्पूर्ण गुजरात राज्य ;
 - (ग) कर्नाटक राज्य के बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ ग्रौर उत्तर केनारा जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - (घ) दादरा ग्रौर नागर हवेली तथा गोवा, दमण ग्रौर दीव के सम्पूर्ण संघ-राज्य क्षेत्र ।
 - राज्यक्षेत्र ख: (क) दिल्ली का सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत ;
 - (ख) उत्तरप्रदेश का सम्पूर्ण राज्य।
 - राज्यक्षेत्र ग : (क) श्रासाम, विहार, मणिपुर, मेधालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम ग्रीर पश्चिमी वंगाल के सम्पूर्ण राज्य ;
 - (ख) भ्रण्डमान भ्रौर निकोबार द्वोप, श्रुरुणाचल प्रदेश, श्रौर मिजोरम के संघ राज्यक्षेत्र ।
 - राज्यक्षेत्र घ: (क) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-करमीर ग्रौर पंजाब के सम्पूर्ण राज्य ;
 - (ख) चंडीगढ का सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र ।
 - राज्यक्षेत्र ड.: (क) महाराष्ट्र राज्य के ग्रकोला , ग्रमरावती, भण्डारा, बुलदाणा, चन्द्रपुर, धुले; जलगाव, नागपुर, वर्धा ग्रौर यवत्माल जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - (ख) मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट, बस्तर, बेतूल, विलासपुर छिदवाड़ा, दमोह, दुर्ग, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा, (उत्तर निमाड़), मण्डला, नर्राक्षग पुर, रायगढ, रायपुर, रायसेन, सागर, सिवनी और सरगुजा जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - राज्यक्षेत्र च: मध्य प्रदेश राज्य के भिण्ड, छतरपुर, दितया, देवास, बार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, (पश्चिम निमाड़), मंदसौर, मुरैना, पर्मा, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, सीहोर, शहडाल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ, उज्जैन और विदिशा जिलों में समाविष्ट क्षेद्र ।
 - राज्यक्षेत्र छः राजस्थान का सम्पूर्ण राज्य ।
 - राज्यक्षेत्र ज : (क) स्रान्ध्र प्रदेश राज्य में स्नादिलाबाद, करीमनगर, खम्भन, हैदराबाद, मेदक, महबूबनगर, नलगोंदा, निजामाबाद ग्रौर वारंगल जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - (ख) कर्नाटक राज्य में वोदर, गुलबर्गा और रायचूर जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;
 - (ग) महाराष्ट्र राज्य के क्रौरंगाबाद, भीर, नांदेड़, उस्मानाबाद क्रौर परभानी जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;

जातिक समाह मैंकु मैंकु निवास समायुर, विवास में कुमें होसन, कालार, मं साम में समायुर, विवास समायुर, विवास समायुर, मिल्ला में समायुर, मिलला मे

: छ इंडिएटीर

राज्यक्षेत्र (का) समस्य प्रदेश राज्य में सनस्य र, विन्तुर, कृडुरम, पूर्व गोशवरो, मृत्युर, कृष्णा, मृष्तुर, नोजार, प्राप्तम, शोशा हुत्रम, दिसाखार रात्तम, अरेर नोजम भेषावरी जिलों में सनाविष्ट क्षेत्र।

् एटार राष्ट्रमम् ई हुफ्तिमीत प्रीह लड़क (क) : 5 हिंद्रगण

। इस्टिक्ट इस कि महम्म कि महिस्ट हो कि हिस्टी कि (छ)

--: ஈடு அறிந்ந में ந்தினிச்சி : **க ந்த்நு)**

- ा इतिराधास प्रक्रिस भाष्टाम्सी इतिहास है (i)
- ा श्रेष्ट्र मह्हीर (ii)
- ां!!) सोनियत समाजनादी गणराज्य संघ ओर पूर्व यूरोप के देश ।
- (एरं) उन्तर प्रमितिक प्रकार क्षिक स्वार्ग कार्या कार्य क्ष्म क्ष्
- ,मिकिनी एडकिने गरुनीक्ट्रांम , मिक्स कंपिन किया किया किया (v) । है होड़ गरुनेहिड्राल प्रीक्ष महमिक ,रिहर्नीम
- , किलिस, मिल्यो, एक्सीक्ट, त्याहिस, प्रमाहिस, क्सिटी, स्वाहिस हेसू (IV) है तिछ मिलिस अधि प्रदाहिस , प्रमासिस, प्रमाहिस क्षित्र क्षित्र क्षित्र है।
- । मुड्रेनिड्राप्त नमनीयुरी र्राप्त (फ्राएकि क्यायक क्षिताम क्षित्र हिल्लाम (iiv)
- (Viii) अदन, यमन जोर जिन्ही ।
- (Xi) मध्यपूर्व जिसके अन्तरीय संपूर्व प्राप्त संपूर्व क्षेत्र स्वार्थ (Xi) । है सिक्ष किन्न प्राप्त क्षेत्र स्वार्थ (Xi)
- 1 F1698311-2878 (X)

- (Xi) इजराइल ।
- (xii) अरव की खाड़ी जिसके अन्तर्गत बेहरीन, कुवैत, कर्त्वर, साउदी अरिबया, संयुक्त अरव अमीरात (जो पहले द्रूसल स्टेट्स कह्लाते थे) और ओमन आते हैं।
- (Xiii) श्रीलंका।
- (XiV) बंगलादेश ।
- (XV) बर्मा।
- (XVi) सुदूर पूर्व जिसके ग्रन्तर्गत सिंगापुर, मेलेशिया, बुंसी, हिन्देशिया, हिन्द चीन, जिसमें उत्तर श्रीर दक्षिण वियतनाम, लाग्रोस, कम्बोदिया, थाईलैण्ड, हांगकांग श्रीर फ़िलीपीन समाविष्ट हैं, जापान श्रीर ताइवान, श्रास्ट्रेलिया श्रीर न्यूजीलैंड श्राते हैं।
- (Xvii) फ़िजी ग्राइलैंड।
- (xViii) संयुक्त राज्य ग्रमरीका ग्रीर कैनेडा।
- (xix) लैटिन अमरीका जिसके अन्तर्गत दक्षिण अमरीका के देश (गुयाना, सुरीनामः स्रीर फ्रेंच गायना को छोड़ कर) स्रीर क्यूबा आते हैं।
- (XX) वैस्ट इंडीज़ जिनके अन्तर्गत एंटीगुम्रा, बारवेडोस, जमका, ट्रिनिडाड और: टोबेगो, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट, पनामा, सुरीनाम, गुयाना और फेंच गायना स्राते हैं।

स्पष्टीकरण 2--स्पष्टीकरण 1 में किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख को जिसको आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं, उस जिले में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

स्पष्टीकरण 3—यदि उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी कथा वित को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है, फिल्म निर्माता ऐसे कथा चित्र के प्रदर्शन के अधिकार, ऐसे छह क्षेत्रों से कम की वाबत जो पूर्वगामी सारणी के स्वध्दीकरण 1 में राज्यक्षेत्र ठ के अधीन प्रमाणित मद (i) से (XX) तक में विनिद्धिट हैं, बेच देता है, तो उस राशि को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में, उसके स्तंभ (1) में विनिद्धिट राज्यक्षत्र या राज्यक्षेत्रों के सामने विनिद्धिट है, उस राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो फिल्म निर्माता द्वारा उस पूर्व वर्ष के दौरान बेचे गए ऐसे क्षेत्रों की संख्या में "2" श्रंक से गुणा करके आएगी।

9ल. कथाचित्रों के विवरण क्रिविकारों के अर्जन पर व्यय की बाबत कटौती

- (1) किसी व्यक्ति द्वारा (ऐसा व्यक्ति इस नियम में इसके पश्चात् "फ़िल्म वितरक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) किए जा रहे कथाचित्रों के वितरण के कारवार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में, किसी कथाचित्र की अर्जन लागत की बाबत कटौती उप-नियम (2) से उप-नियम (4) तक के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।
- (2) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें फिल्म वितरक द्वारा कोई कथाचित्र अर्जित किया जाता है, वह फिल्म को प्रदिशित करता है या फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेच देता है, तथा दोनों में से किसी भी दशा में, वह फिल्म उस वर्ष के दौरान 90 या अधिक दिन तक प्रदर्शित की जाती है, वहां फिल्म की पूर्ण अर्जन लागत उक्त पूर्व वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (3) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें फ़िल्म वितरक द्वारा ोई कथाचित्र अजित किया जाता है, वह फ़िल्म को प्रदिशत करता है या फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकार वेच देता है, तथा दोनों में से किसी भी दशा में, वह फ़िल्म उस वर्ष के दौरान 90 से कम दिन तक प्रदर्शित की जाती है, वहां फ़िल्म की अर्जन लागत, जहां तक कि वह उस रकम से अधिक नहीं है जिसमें ऐसे अधिकार वेचे गए हैं, उक्त पूर्व वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, तथा श्रतिशेष को, यदि कोई हो, ठीक आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा तथा उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें फ़िल्म वितरक द्वारा कोई कथाचित्र अजित किया गया है, वह फ़िल्म को प्रदिशत नहीं करता है या फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकार नहीं बेचता है, वहां उस वर्ष में फ़िल्म की अर्जन लागत की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और पूर्ण अर्जन लागत ठीक आगमी पूर्व वर्ष में अग्रनीत की जाएगी और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
- (5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी कथाचिल के प्रदर्शन के ग्रधिकारों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे उस तारीख को ही बेचे गए हैं जब फ़िल्म के पोजिटिव प्रिट, फ़िल्म वितरक द्वारा ऐसे ग्रधिकारों के केता को परिदत्त किए जाते हैं।
- (6) इस नियम के उपबंध उस निर्धारण वर्ष के, जो 1 ग्रप्रैल, 1976 को प्रारंभ होता है, या किसी पूर्वत्तर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, जब तक कि—
 - (क) ऐसी दशा में जिसमें एस वर्ष की बाबत निर्धारण आयकर अधिकारी के समक्ष लिम्बत है, फिल्म नितरक आयकर अधिकारी के समक्ष ऐसी लिखित घोषण। नहीं करता है नि कथाचित्र की अर्जन लागत इस नियम के उपबंधों के अनुसार अनुजात की जा सकती है;

(ख) ऐसी दशा में जिसमें उस वर्ष की बाबत निर्धारण ग्रायकर ग्रधिकारी द्वारा पूरा कर लिया गया है ग्रीर फिल्म वितरक ने ग्रायकर ग्रधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध ग्रपील या पुनरीक्षण किया है, फिल्म वितरक यथास्थिति सहायक ग्रायुक्त (ग्रपील), ग्रपील ग्रधिकरण या ग्रायुक्त के समक्ष ऐसी लिखित घोषणा नहीं करता है कि कथाचित्र की ग्रजंन लागत इस नियम के उपबंधों के ग्रनुसार ग्रनुझात की जा सकती है।"।

[सं० 1340/फ़ा० सं० 142(21)/76-टी व्यी०एल०] श्रो० पी० भारद्वाज, सचिव।